न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **45/2016** अपील (राजस्व)

श्री रामसिंह पिता श्री करण सिंह जी राजपूत निवासी बोयणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

—— अपीलान्ट

बनाम

1. श्री लाल सिंह पिता श्री करण सिंह जी राजपूत निवासी बोयणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती निरूंकुवर (माता भंवर कुंवर) पत्नी श्री कुन्दन सिंह राठौड जेतावत, निवासी बड़ा गुड़ा, तहसील सोजत सिटी, जिला पाली (राज.)

—— रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम विरूद्ध तहसीलदार मावली तारीख 17.06.2016 बाबत नामा.नं. 999 ग्राम बोयणा

उपस्थित : श्री मनीष शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट

निर्णय

दिनांकः— 21.10.2019

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश तहसीलदार मावली के नामान्तरकरण संख्या 999 आदेश दिनांक 17.06.2016 से नाराज होकर प्रस्तुत की गई हैं।

अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खातेदार करणसिंह पिता डूंगरसिंह के आराजी सं. 213 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा का 1/2 हिस्सा, आराजी सं. 611 रकबा 4 बिस्वा, आराजी सं. 612 रकबा 4 बिस्वा, आराजी सं. 613 रकबा 4 बिस्वा, किता 3 रकबा 12 बिस्वा का 1/4 हिस्सा यानि 3 बिस्वा भूमि व अन्य जायदाद की अपीलान्ट को अपने जीवनकाल में ही तारीख 17.05.04 को वसीयत निष्पादित कर अंगुठा निशानी गवाहो के समक्ष लगवा दी व नोटरी से प्रमाणित करा दी। करणसिंह जी की मृत्यु के बाद वसीयत के आधार पर उक्त जमीन जायदाद का खातेदार व मालिक होकर उपयोग–उपभोग करता रहा। रेस्पोडेन्ट लालसिंह द्वारा पटवारी से मिल मिलाकर उक्त भूमि का नामान्तकरण विरासत से खुलवा दिया। जब खातेदार करणसिंह द्वारा अपने हिस्से की उक्त भूमि अपीलान्ट के नाम पर वसीयत कर दी तो विरासत के नाम पर

खोला गया नामान्तकरण गलत है। उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में वाद विचाराधीन है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 लालसिंह द्वारा उपखण्ड अधिकारी मावली के आदेश के विरूद्ध निगरानी न्यायालय राजस्व मण्डल राज. अजमेर में प्रस्तुत कर रखी है। जिसके प्र.सं. 05/04/2007 निग/आरटीए होकर दिनांक 09.02.07 को स्थगन प्राप्त कर रखा है जो आज दिनांक तक प्रभावी है जिसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय को धोखे में रखकर उक्त नामान्तकरण स्थगन दौरान खुलवा दिया गया है। स्थगन दौरान खोला गया नामान्तकरण गैरकानूनी होकर निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का कथित आदेश निरस्त फरमाया जावें एवं विवादीत भूमि का अपीलान्ट के नाम नामान्तकरण खुलवाये जाने का आदेश प्रदान करे।

अपील मेमो के साथ में एक प्रार्थनापत्र धारा 5 अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि दिनांक 31.08.16 को पटवारी हल्का के पास में जमाबन्दी की नकल लोन लेने हेतु गया तो ज्ञात हुआ कि कथित नामानतकरण स्वीकृत होकर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के नाम पर दर्ज हो गई है। अपीलीय नामान्तकरण खोले जाने की जानकारी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को नहीं दी गई। जानकारी होते ही नकले प्राप्त कर यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अपील प्रस्तुत करने में कोई देरी नहीं की गई। अतः देरी के समय को कण्डोन फरमाया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार फरमायी जाये।

अपील के साथ में एक प्रार्थनापत्र आदेश 41 नियम 27 धारा 151 जा.दी. का दिनांक 01.07.19 को प्रस्तुत कर न्यायालय राजस्व मण्डल राज. अजमेर के प्र.सं. 514/07 निग/आरटीए में जारी स्थगन आदेश मय आदेशिकाओं की छायाप्रति एवं प्रस्तुत निगरानी पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत कर रेकार्ड पर लिए जाने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया। बावजूद नोटिस तामील के रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 अनुपस्थित रहे। अतः इनके विरूद्ध दिनांक 23.09.19 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में उपस्थित अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना गया। जिसके दौरान निवेदन किया गया कि खातेदार करणसिंह जी द्वारा उनके खाते की भूमि आराजी सं. 213 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा को 1/2 हिस्सा, आराजी सं. 611 रकबा 4 बिस्वा, आराजी सं. 612 रकबा 4 बिस्वा, आराजी सं. 613 रकबा 4 बिस्वा, किता 3 रकबा 12 बिस्वा का 1/4 हिस्सा यानि 3 बिस्वा भूमि व अन्य जायदाद की अपीलान्ट को अपने जीवनकाल में ही तारीख 17.05.04 को वसीयत निष्पादित कर अंगुठा निशानी गवाहो के समक्ष

लगवा दी व नोटरी से प्रमाणित करा दी। श्री करणसिंह जी की मृत्यु होने पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 लालसिह द्वारा पटवारी से मिलकर विरासत का नामान्तकरण दर्ज करवा दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरासत के नामानतकरण को फैसल करते समय अपीलान्ट को नहीं सुना गया। उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली में वाद विचाराधीन है। उपखण्ड अधिकारी मावली के आदेश के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट द्वारा राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की गई। न्यायलय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा उक्त निगरानी के प्र.सं. 514/07 अनवानी लालसिंह बनाम रामसिंह व अन्य में अपने आदेश दिनांक 09.02.07 से यह आदेश जारी किया गया कि उपखण्ड अधिकारी मावली के आदेश दिनांक 13.10.06 वाद सं. 33/06 एवं वाद सं. 154/06 में की जाने वाली अग्रिम कार्यवाही मण्डल के अन्य आदेश तक स्थगित रखी जावे। जो आज दिन तक स्थगन आदेश कायम है। न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा जारी अपने स्थगन आदेश दिनांक 09.02.07 को आज दिनांक तक स्थगित नहीं किया गया है। जबकि अपीलीय नामान्तकरण दिनांक 17.06.16 को फैसल हुआ है। उक्त जारी स्थगन आदेश का ज्ञान रेस्पोडेन्ट को अच्छी तरह से था। क्योंकि उसी दौरान निगरानी प्रस्तुत की गई जिस पर ही स्थगन आदेश जारी हुआ। अपीलीय नामान्तकरण दौराने स्थगन खोले जाने से खारिज फरमाया जावें।

प्रकरण में उपस्थित अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का विस्तृत अध्ययन किया गया। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 41 नियम 27 को स्वीकार कर प्रस्तुत दस्तावेजों को रेकार्ड पर लिए जाने में कोई ऐतराज नहीं है। क्योंकि प्रस्तुत दस्तावेज माननीय राजस्व मण्डल के न्यायालय की आदेशिका व प्रस्तुत निगरानी प्रार्थनापत्र की छायाप्रति है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 स्वीकार किया जाता है।

साथ ही अपीलार्थी का प्रार्थनापत्र धारा 5 मयाद अधिनियम का स्वीकार किया जाता है क्योंकि अपीलीय नामानतकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरासत का खोला गया है, जिसमें अपीलार्थी को बिना सुने ही पारित किया गया है। अतः अपीलार्थी का प्रार्थनापत्र धारा 5 मयाद अधिनियम का स्वीकार किया जाता है।

प्रस्तुत दस्तावेज राजस्व मण्डल के प्र.सं. 514/07 की आदेशिकाओं को देखने पर ज्ञात हुआ कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा उक्त निगरानी प्रकरण में अपने आदेश दिनांक 09.02.07 से अपीलीय नामान्तकरण में हस्तान्तरित भूमि के संबंध में जो वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली में विचाराधीन है उसी प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी मावली द्वारा जारी आदेश के विरूद्ध जो निगरानी रेस्पोडेन्ट द्वारा राजस्व

मण्डल में की गई है, उसी निगरानी के प्र.सं. 514/07 में अस्थायी स्थगन आदेश प्रदान किया है। यानि की अपीलीय नामान्तकरण में हस्तान्तरित भूमि के संबंध में ही यह स्थगन आज दिनांक तक प्रभावी है। जबकि अपीलीय नामान्तकरण दिनांक 17.06.16 को खोला गया है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखो एवं दस्तावेजो को देखने पर प्रथम दृष्टया स्पष्ट प्रतीत होता है कि अपीलीय नामान्तकरण सं. 999 दिनांक 17.06.16 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा जारी किये गये स्थगन आदेश दिनांक 09.02.07 के प्रभावी रहते हुए खोला गया है। दौराने स्थगन खोले जाने से अपीलीय नामान्तकरण निरस्तनीय है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मावली द्वारा ग्राम बोयणा पटवार हल्का बोयणा तहसील मावली का खोला गया नामान्तकरण सं. 999 दिनांक 17.06.16 माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर के दौराने स्थगन अवधि में खोले जाने से निरस्त किया जाता है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार मावली को वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर
उदयपुर

4

Signature Not Verified
Digitally signed by Anandhi Palaniswamy
Date: 2019.12.17 11:10:49 IST
Reason: SelfAttested
Location: